FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/2021	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार लूणी की ओर से रिपोर्ट पेश हुई। बहस सुनी गई। वादीगण की ओर से कथन किया कि वादीगण के पिता हीराराम की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 34 रकबा 26 बीघा, खसरा नं. 34/3 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नं. 41/2 रकबा 45 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 23.02 बीघा वाके ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार हल्का धांधिया में आई हुई है। हीराराम का स्वर्गवास 30.04.2019 को हो गया उनके बाद वादीगण उनके वारिसान है। पूर्व में यह कृषि भूमि सिमरथाराम के नाम से थी। सिमरथाराम के स्वर्गवास के बाद उनके दो पुत्र मुगलाराम एवं भगवानाराम हुए। मुगलाराम के कोई वारिस नहीं थे। इस कारण मुगलाराम ने भगवानराम जी के पुत्र हीराराम को गोद लिया। ऐसी स्थिति में खसरा नं. 34/3, 41/2, 66 की भूमि में हीराराम पुत्र मुगलाराम दर्ज किया गया परन्तु खसरा नं. 34 में हीराराम पुत्र भगवानाराम ही दर्ज रहा तथा बाद में हीराराम पुत्र मुगलाराम के स्थान पर त्रुटिवश हीराराम पुत्र मंगलाराम दर्ज हो गया जबकि तीनों एक ही है। हीराराम जी के देहान्त के बाद वादीगण ने फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज हेतु तहसीलदार लूणी को निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने म्यूटेशन का आदेश किया परन्तु आज दिन तक हीराराम के स्थान पर वादी गण का नाम इन्द्राज नही किया तथा राजस्व कर्मचारी आना कानी करने लग गये जबकि वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावें। प्रतिवादी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में हीराराम पुत्र भगवानाराम एवं हीराराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलाराम एक ही व्यक्ति है तथा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी वार्ड पंच एवं	

उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

ग्राम वासियों के साथ मौका फर्द में भी उक्त बात की पुष्टि की गई है तथा स्वंय तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.12.2019 में हीराराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मुगलाराम हीराराम पुत्र भगवानाराम की विरासत का नामान्तरणकरण का आदेश पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत स्थिति है कि हीराराम एक ही व्यक्ति है परन्तु उसकी वल्दीयत प्राकृतिक पिता एवं गोदी पिता एवं अशुद्वनाम दर्ज के कारण वादीगण का नाम जरिये विरासत दर्ज नहीं किया जा सका। जबकि वादीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

चूँकि उपरोक्त विवादित आराजी चालू राजस्व रेकर्ड मे खातेदार श्री हीराराम के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु दिनाँक 30.04.2019 को हो चुकी है (मृत्यु प्रमाण पत्र दिनाक 04.05.2019 सलग्न)तथा कुछ भाग भारतीय स्टेट बैक लूणी के रहन दर्ज है। (नामान्तरणकरण सख्या 313) प्रतिवादी सख्या 1 एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनाक 23.12.2020 मे भी स्पस्ट लिखा है कि खातेदार हीराराम के पिता का नाम मंगलाराम पंजीयन दस्तावेज के अनुसार दर्ज हुआ है एवं हीराराम के पिता का नाम एक जगह मंगलाराम व एक जगह भगवानराम है जो कि संदेहास्पद्र माना हैं।

अतःप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आँशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 34 रकबा 26 बीधा खसरा नम्बर 34/3 रकबा 2.18 बीधा ,खसरा न 41/2 रकबा 45 बीधा खसरा न 66 रकबा 23.02 बीधा ग्राम विष्णु की ढाणी के राजस्व रिकर्ड मे प्रार्थीगण के पिता एवं खातेदार हीराराम जिसकी मृत्यु दिनांक 30.04.2019को हो चूकी है फौतेदगी/विरासत नामान्तरकरण हेतु प्रकरण में धारा 135(2) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 मे दर्ज कर पक्षकारान की सुनवाई कर नियामानुसार नामान्तरकरण हेतु आदेश पारित करे। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होंकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी